भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1953

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

.....

तिलैया और कोनार बांधों में सूक्ष्म सिंचाई नेटवर्क का विकास

1953. श्री मनीष जायसवालः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हजारीबाग जिले के अधिकांश प्रखंडों में किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का तिलैया और कोनार बांधों से जुड़े क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई नेटवर्क (जैसे ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रणाली) विकसित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में प्रस्तावित अथवा वर्तमान योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार की इस दिशा में कदम उठाने की क्या योजना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): जल संसाधन परियोजनाओं की योजना, वित्तपोषण, कार्यनिष्पादन और रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों और प्राथमिकता के अनुसार स्वयं किया जाता है। भारत सरकार की भूमिका प्रेरणा देने तकनीकी सहायता प्रदान करने और इस मंत्रालय की चल रही योजनाओं के अंतर्गत कुछ चिन्हित परियोजनाओं को आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है।

झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हजारीबाग जिले में सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। जिले में प्रमुख और मध्यम सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 10,558.47 हेक्टेयर और लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 6,710 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

(ख) और (ग): जल संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार ने सूचित किया है कि तिलैया और कोनार बांधों से संबंधित क्षेत्रों में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रणालियों का उपयोग करके सूक्ष्म सिंचाई नेटवर्क का विकास किसी भी चल रही सिंचाई परियोजना का हिस्सा नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

(घ): वर्ष 2015-16 से भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, झारखंड सहित पूरे देश में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर प्रणालियों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु केंद्र प्रायोजित योजना पर ड्राप मोर क्रॉप (पीडीएमसी) को कार्यान्वित कर रहा है। पीडीएमसी योजना के अंतर्गत झारखंड को कुल 288.85 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की जा चुकी है और 49,432 हेक्टेयर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आता है।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, स्थापित जल स्रोतों से खेत तक (लगभग 1 हेक्टेयर तक) सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने वाले बैकएंड अवसंरचना के निर्माण हेतु कमान क्षेत्र का विकास और जल प्रबंधन (एम-कैडडब्ल्यूएम) योजना के आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। यह योजना दबावयुक्त पाइप सिंचाई नेटवर्क उपलब्ध करवाकर और किसानों को ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके खेत में जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने की परिकल्पना करती है।

*****